**न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं01 बयाना जिला (भरतपुर) राज0**

**पीठासीन अधिकारीः- सोनाली प्रशांत शर्मा, आर.जे.एस. (डी.जे.कैडर)**

विविध फौजदारी प्रकरण सं.: 42/2026

सीआईएस नम्बर 77/2026

ओमप्रकाश आयु 42 साल पुत्र भोमाराम निवासी केरियाखेडा थाना आसीद जिला भीलवाडा (राज0) ---अभियुक्त-प्रार्थी

**बनाम**

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, बयाना।

---अप्रार्थी

**अग्रिम** जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 (नया 482 बीएनएसएस) प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 634/2018 थाना बयाना नम्बरी फौजदारी प्रकरण संख्या 227/2024 व उनवानी सरकार बनाम देवकरण न्यायालय ए.सी.जे.एम. संख्या-01 बयाना जिला भरतपुर अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120 भा0दं0सं0।

उपस्थित-

1.सर्वश्री सियाराम अधाना, राकेश सैन अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

2.श्री ओ.पी.तिवारी, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से उप0।

**:आदेशः**

**दिनांक 11.03.2026**

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से यह **अग्रिम** जमानत का प्रार्थना पत्र धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार रहा है कि अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है उसका इस मामले से किसी प्रकार का कोई सम्बंध एवं सरोकार नहीं है। प्रकरण के सह अभियुक्त देवकरण को गिरफ्तार कर तथा प्रार्थी-अभियुक्त व अन्य के विरुद्व धारा 299 दं0प्र0सं0 में चालान पेश कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्व गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये है। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 16.12.2012 से 24.05.2014 तक भारतीय सनसाईन डवलपर्स विल्ड एंड अलाईट लि0 जयपुर में डायरेक्टर के पद पर

आसीन रहे है एवं उसके बाद प्रार्थी-अभियुक्त ने उक्त फर्म में डायरेक्टर पद से दिनांक 24.05.2014 को पदमुक्त हो गये। परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में पांच लाख रुपये की राशि का गबन दिनांक 04.12.2017 को होना बताया है जबकि वह उक्त पद से दिनांक 24.05.2014 को ही पदमुक्त हो गये। इस तरह प्रार्थी-अभियुक्त ने उक्त राशि का गबन नहीं किया है उसका इस प्रकरण से किसी प्रकार का कोई लेना-देना भी नहीं है। प्रकरण के सभी गवाहान हितबद्व है जिनको टैम्परविद किये जाने की कोई संभावना नहीं है। वह न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पेश करने को तैयार है। अतः उसे जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। जबकि अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया और प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की बहस की।

बहस उभय पक्ष सुनी गई तथा केस डायरी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी हंसराम ने एक परिवाद पत्र न्यायालय ए.सी.जे.एम. बयाना के समक्ष इस आशय का पेश किया कि अभियोगी रेल्वे में डी-ग्रुप में कर्मचारी है तथा अभियुक्त संख्या 3 लाखनसिंह भी रेल्वे में डी.ग्रुप में बयाना में कार्यरत है, दोनों दूर से रिश्तेदार है। अभियुक्त संख्या-3 लाखन सिंह, अभियुक्त संख्या-1 व 2 क्रमशः रामअवतार सिन्दरिया व भागीरथ के निर्देशन में कार्य करता है। अभियुक्त संख्या-3 लाखन सिंह की पत्नि अनीता जिसका ऐजेन्ट कोड नम्बर 013000044 है, के नाम से अनीता का पति लाखन सिंह आया और कहा कि उसके पिताजी की सेवानिवृति के पैसे को इस कम्पनी में जमा करा दे तो उनको बैंक से ज्यादा ब्याज मिलेगी। वे लाखन सिंह की बातों में आ गये और अभियोगी ने 5,00,000/- रूपये नगद व शेष राशि किस्तों में जमा कराने का वायदा किया। जिसमें 5 लाख नगद जमा कराने के बाद अभियोगी ने किस्तों में भी पैसे जमा कराये। इसके बाद अभियोगी ने उसके भाई केशव के नाम भी एक पॉलिसी करवा दी उसमें भी अभियोगी के भाई केशव ने पांच लाख नगद व कुछ किस्तों में जमा कराते रहे कुल 13 लाख रूपये अभियुक्त संख्या-1 लगायत-3 ने हडप लिया। जब अभियोगी ने तगादा किया कि उसकी पालिसी पूरी हो गई है तो अभियोगी व उसके भाई को पांच लाख रूपये के चैक दे दिये उसके बाद फिर एक लाख पचास हजार का चैक दे दिया। अभियुक्त संख्या-4 अनीता एजेन्ट थी तथा अभियुक्त संख्या-3 लाखन पैसे लेकर जाता और उसकी पत्नी के नाम से कमीशन भी प्राप्त करता अभियुक्त संख्या-2 भागीरथ बयाना ब्रांच का

मैनेजर व अभियुक्त संख्या-1 मैनेजिंग डायरेक्टर जिसके निर्देशन में ये लोग ठगी करते थे। इस प्रकार उक्त सभी लोगों ने अभियोगी व अभियोगी के भाई से करीब 13 लाख रूपये हडप लिये है। उक्त घटना की रिपोर्ट अभियोगी ने दिनांक 30.07.2018 को पुलिस थाना बयाना में पेश की लेकिन पुलिस थाना बयाना ने कोई कार्यवाही नहीं की है उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भरतपुर को जरिये रजिस्टर्ड डांक रिपोर्ट दिनांक 31.07.18 को पेश की लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। इसलिए यह परिवाद पत्र पेश किया है। उक्त परिवाद पत्र को वास्ते कायमी मुकदमा व जांच हेतु थाना बयाना पर भेजा गया जहां पर यह मामला पंजीबद्व हुआ। बाद अनुसंधान रामावतार सिंदरिया, कुलदीप सिंह, ओमप्रकाश, देवकरण व पैमाराम के विरुद्व धारा 420, 406, 120बी भा0दं0सं0 में आरोप प्रमाणित पाया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त देवकरण के विरुद्व उसकी गिरफ्तारी के पश्चात आरोपित अपराधों में तथा अभियुक्तगण रामवतार सिंदरिया, कुलदीप सिंह, ओमप्रकाश व पैमाराम के विरुद्व आरोपित अपराधों में धारा 299 दं0प्र0सं0 के तहत चार्जशीट न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना के यहां पेश की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली व केस डायरी का अवलोकन किया गया।

पत्रावली व केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी-अभियुक्त ने अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर परिवादी तथा उसके भाई को बेईमानीपूर्वक आशय से अधिक ब्याज दिलाने का प्रलोभन देकर छल पूर्वक 13,00,000/-(अंकेन तेरह लाख)रुपये परिदत्त करने हेतु प्रवंचित किया तथा उक्त न्यस्त राशि परिवादी द्वारा मांगने पर भी नहीं लौटाकर स्वयं के उपयोग उपभोग में संपरिवर्तित कर आपराधिक न्यास भंग किये जाने से धारा 420, 406, 120बी भा0दं0सं0 के अपराध का आरोप है। तफतीश से प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्व धारा 420, 406, 120 भा0दं0सं0 का जुर्म प्रमाणित पाया गया है और उसके विरुद्व धारा 299 दं0प्र0सं0 में आरोप पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। प्रार्थी-अभियुक्त का कृत्य गंभीर प्रकृति का है। उसके लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने से अनावश्यक विलम्ब कारित हुआ है। प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को मददेनजर रखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थी-अभियुक्त ओमप्रकाश आयु 42 साल पुत्र भोमाराम निवासी केरियाखेडा थाना आसीद जिला भीलवाडा (राज0) की ओर से प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत आवेदन धारा 438 दं0प्र0सं0 (नया 482 बीएनएसएस) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

**(सोनाली प्रशांत शर्मा)**

आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(सोनाली प्रशांत शर्मा)**